निविदा की आवश्यक शर्तेः--

01 निविदा प्रपत्र की बिक्री **अंतिम तिथिः 29.09.2020 को शाम 05:00 बजे** तक निर्धारित है।

02 निविदा दो लिफाफा (Technical & Financial) दो मोहरबंद लिफाफे में **अंतिम तिथि 30.09.2020 को दोपहर 03:00 बजे** तक निर्धारित है। (विवरण कंडिका 16 में है)

03. निविदा खोले जाने की तिथि जमा किये जाने वाले **अंतिम तिथि के एक घंटे उपरांत 30.09.2020 को शाम 04:00 बजे** निर्धारित है

04. निविदाकर्ता, एक फर्म, एक संस्था या एक कंपनी के रूप में निविदा में सम्मिलित हो सकता है/जिसमें जीएसटी नम्बर लिया जाना अनिवार्य होगा।

05. सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के एक घंटा उपरांत खोला जायेगा, यदि किसी कारण से निविदाकर्ता निविदा खोले जाने के समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।

06. निविदा केवल स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री के माध्यम से प्रेशित किये जाने पर निविदा स्वीकार किया जायेगा, एवं निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

07. निविदा की दर एक वर्ष 31 मार्च 2021 तक मान्य होगी। आवश्यकतानुसार निविदा की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है।

08. किसी भी चश्मा विक्रेता द्वारा निविदा भरा जा सकता है।

09. निविदाकर्ता वाणिज्यकर विभाग से पंजीकृत हो तथा बिक्री कर, वाणिज्यकर, आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट तथा पेन नम्बर की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. निविदा में चश्मा का दर स्वच्छ हस्तलिपि में बिना कांट-छांट, कम्प्यूटर टायपिंग/इलेक्ट्रानिक टायपिंग में इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा अस्वीकार होगा। निविदा संलग्न प्रपत्र के सरल क्रमांक में ही होना चाहिये।

11. अंकित दर बेमेतरा में प्रदाय का होना चाहिये। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा अथवा अन्य व्यय मान्य नहीं होगा।

12. निविदा दर में निर्धारित सभी प्रकार के कर सम्मिलित रहेंगे। अलग से किसी भी प्रकार का टेक्स देय नहीं होगा।

13. पढ़ने हेतु चश्में (प्रेस बायोपिक) की निविदा दर में निर्धारित सभी प्रकार के कर सम्मिलित रहेंगे। अलग से किसी भी प्रकार का टेक्स देय नहीं होगा।

14. निविदा प्रपत्र का मूल्य 1000/- रूपये अक्षरी (एक हजार रूपये मात्र) का डी.डी. (डीमाड ड्राफ्ट) जो की राश्ट्रकृत बैंक का हो एवं **"District Health Society Bemetara"** के नाम से देय होगा, अदा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकेंगे, जो की राशि वापसी देय नहीं होगा।

15. प्रत्येक निविदादाता को अमानत राशि रूपये 20000.00 (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी भी शाखा से **"District Health Society Bemetara"** के नाम से बनाकर जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी प्रकार की अमानत राशि स्वीकार नहीं किया जावेगा। असफल निविदादाता को ड्राफ्ट वापस कर दिया जावेगा एवं सफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा की वैध तिथि तक जमा रखा जायेगा, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

16. परिशिष्ट-- (अ एवं ब) तथा अन्य दस्तावेज तकनीकी लिफाफे पे संलग्न किया जाना अनिवार्य है। लिफाफे पर तकनीकी बिड अंकित किया जावें एवं परिशिष्ट--(स) वित्तीय दर लिफाफे का अलग से संलग्न किया जाना अनिवार्य है, एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा (छ.ग.) में दिनांक 30.09.2020 को समय दोपहर 03:00 बजे जमा किया जाना अनिवार्य है। उचित परिष्ठ अनुसार निविदा आवेदन नहीं किये जाने पर निविदा आवेदन अमान्य किया जावेगा।

17. निविदाकर्ता को GST (Goods & Service Tax) में पंजिकृत होना अनिवार्य है GST पंजियन की छायाप्रति निवदिा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

18. निविदा खोलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा तत्पश्चात संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।

Scanned with CamScanner

19. किसी भी स्थिति में उपरोक्त शर्तों को पूरा नही किये जाने वाले निविदाकर्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार व अमान्य किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया निरस्त किये जाने व आव यक सं ोधन का सम्पूर्ण अधिकार निविदा के संबंध में गठित समिति जिला स्वास्थ्य समिति जिला बेमेतरा छ.ग. को होगा

20. निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन किया जा सकता है।

21. जिला स्वास्थ्य समिति, उप समिति अंधत्व नियंत्रण बेमेतरा पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा कि अनुमादित दर की समस्त वस्तुओं का क्रय करे। चश्मा की आवश्यकतानुसार ही उपलब्ध आबंटन एवं समय–समय पर शासन से प्राप्त निर्देशानुसार ही क्रय की जावेगी। क्रय में किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।

22. चश्मा जिला स्वास्थ्य समिति उप समिति अंधत्व नियंत्रण बेमेतरा के भंडार तक पहुंचा कर देना होगा। किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा अथवा अन्य व्यय देय नहीं होगा। सामग्री अच्छी हालत में होना आवश्यक है। टूटे–फूटे सामग्री मान्य नही होंगे। चश्मा वितरण की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। चश्मा बच्चों के पसंद और साइज के हिसाब से हो, व चश्में का कवर साथ में देय होगा।

23. क्रय हेतु आदेशित चश्मा आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर मापदण्ड के अनुरूप प्रदाय करना होगा। अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। समय पर प्रदाय न करने की दशा में विलम्ब से प्राप्त सामग्री को स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर वापस ले जाना होगा। प्रदाय न कर पाने वाले फर्म द्वारा जमा की गई अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

24. चश्मों की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाये जाने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी इस संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

25. आपात स्थिति में न्यूनतम दर पर किसी भी फर्म से चश्मा क्रय की जा सकेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

26. भुगतान शासन से समय –समय पर प्राप्त निर्देश एवं आबंटन के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा।

27. बिना कारण बताये समस्त निविदा निरस्त अथवा अमान्य करने का सम्पूर्ण अधिकार जिला निविदा समिति बेमेतरा का होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

28. चश्मों की सूची के अनुसार चश्मो एवं फ्रेम का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तभी निविदा मान्य की जावेगी।

29. निविदा शर्तो में परिर्वतन की स्थिति में विसंगति की स्थिति में एवं न्यायलयीन प्रकरण की स्थिति में निविदा निरस्त किये जाने का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति बेमेतरा के पास सुरक्षित रहेगा।

Sd/-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner